समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

शुरू हुआ ITR फाइल करने का सीजन : ITR-1, ITR-2 या ITR-4 — जाने आपके लिए कौन सा फॉर्म है सही।

Publisher Published on 05 Jun 2025

ITR भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर 2025 तक कर सकते है फाइल।

नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन शुरू हो चुका है। पहले जहां इसकी **अंतिम तारीख 31 जुलाई** थी, अब उसे बढ़ाकर **15 सितंबर, 2025** कर दिया गया है। **टैक्सपेयर्स अब असेसमेटं ईयर 2025-26** के लिए **ई-फाइलिंग पोर्टल** पर जाकर **ITR-1 और ITR-4** जैसे फॉर्म भर सकते हैं।

लेकिन ध्यान दें, सही फॉर्म का चुनाव करना बेहद जरूरी है। अगर आप गलत **ITR फॉर्म** भरते हैं, तो आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। आइए जानते हैं आपके लिए कौन सा फॉर्म उपयुक्त रहेगा।

ITR-1 (सहज फॉर्म) – किसके लिए है उपयुक्त ?
१. **आय 50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।**
२. **कमाई के स्रोत : सैलरी, पेशंन, एक हाउस प्रॉपर्टी से किराया, बैकं डिपॉजिट पर इंटरेस्ट और 5,000 रुपये तक की खेती से आय.**
३. **लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन : 1.25 लाख रुपये तक की कमाई स्वीकार्य**

किसके लिए नहीं:
१. **जिनकी खेती से ₹5000 से ज्यादा कमाई है.**

२. **जिनके पास एक से अधिक घर है.**

३. **जिनकी कमाई विदेश से होती है.**

४. **जिनके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर है.**

५. **जिनकी लॉटरी या रेस से कमाई है.**

ITR-2 – किसे भरना चाहिए ?

नौकरीपेशा या पेशंनर्स जिनकी आय के अनेक स्त्रोत है

अगर आपकी आय में शामिल हैं:

१. **शेयर या म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट**

२. **एक से अधिक संपत्तियों से किराया**

३. **विदेश से कमाई**

४. **व्यवसायिक पेशे जैसे डॉक्टर, वकील आदि**

ITR-4 (सुगम फॉर्म) – किसके लिए है उपयुक्त ?

१. **हिंदू अविभाजित परिवार, स्मॉल बिजनेस, फर्म पार्टनर, फ्रीलांसर, कंसल्टेटं, रिटेलर, डॉक्टर आदि**

२. **प्रिजंप्टिव टैक्स स्कीम (धारा 44AD, 44ADA, 44AE) के अंतर्गत आय**

३. **50 लाख रुपये तक की कुल वार्षिक आय**

४. **स्त्रोत : फ्रीलांसिंग, सैलरी, पेशंन, बैकं इंटरेस्ट, खेती से आय, फैमिली पेशंन**

५. यह **फॉर्म NRI, कंपनी डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयरधारक, ESOP टैक्स स्थगित** करने वाले या **लॉटरी-रेस** जैसी आय वालों के लिए नहीं है।

कैसे करें सही फॉर्म का चुनाव ?

१. **सैलरी/पेशंन से कमाई : ITR-1**

२. **मल्टीपल इनकम सोर्स (शेयर, किराया, विदेश): ITR-2**

३. **बिजनेस/फ्रीलांसिंग/प्रिजंप्टिव टैक्स स्कीम : ITR-4**

४. **गलत फॉर्म भरने से आयकर विभाग रिटर्न रिजेक्ट** कर सकता है, इसलिए अपने इनकम सोर्स और निवेशों के अनुसार ही फॉर्म चुनें।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

---

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.